प्रेषक,

वरिष्ठ शोध अधिकारी/
आहरण वितरण अधिकारी
राज्य योजना आयोग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

पत्रांक 823/2–218/रा0यो0आ0/ 2017–18 दिनांक 29 जून 2017

महोदय,

कृपया अपर सचिव, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून के आदेश सं0 665/2–2018/ रा0यो0आ0/ 2015 दिनांक 28–5–2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा श्री ललित मोहन, निदेशक, राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड को शासकीय कार्यो के सम्पादनार्थ इस स्तर से वाहन आवंटित किया गया है।

अतः इस कम में अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश सं0 84/XXVII (7) 50 (06)/2017 वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 दिनांक 07 जून 2017 से जिन अधिकारियों को वाहन आवंटित है, उनसे शासकीय वाहन कटौती की दरों में संशोधन करते हुए रू0 2000.0 प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। जिसकी छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

संलग्न– यथोपरि

भवदीय,

(दीवानी राम)
वरिष्ठ शोध अधिकारी/
आहरण वितरण अधिकारी

संख्या– 84 /XXVII(7)50(06)/2017

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
   उत्तराखण्ड।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

देहरादून: 07 जून, 2017

विषयः–राजकीय व्यय में मितव्ययिता के परिप्रेक्ष्य में सरकारी गाड़ियों की अनुमन्यता एवं उनके रख–रखाव आदि के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

महोदय,

वित्तीय अनुशासन तथा "वैल्यू फार मनी" के सिद्धान्त के अन्तर्गत अनुमन्य व्यय को कम करने के उद्देश्य से शासनादेश दिनांक 19.03.1997 एवं 29 मई, 1999 द्वारा वाहनों के उपयोग के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये थें। उक्त शासनादेशों के अनुसार प्रत्येक अधिकारी जिन्हें वाहन आवंटित है को 200 किलोमीटर प्रतिमाह तक वाहन का निजी प्रयोग करने पर राजकीय कोष में प्रति माह प्रति वाहन के आधार पर कार के लिए रू0 500/– तथा जीप के लिए रू0 400/– जमा किया जाना सुनिश्चित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त आदेश के अन्तर्गत राजकीय कोष में जमा किये जाने वाले प्रति वाहन, प्रति माह की वर्तमान राशि में वृद्धि करते हुए दिनांक 01 मई, 2017 से प्रत्येक वाहन हेतु रू0 2000/– प्रतिमाह की राशि निश्चित कर दी जाय।

2. उक्त शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

3. उक्त धनराशि राजकोष में यथानिर्धारित लेखाशीर्षक के अधीन पूर्व की भांति जमा की जायेगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

S.O./लेखाकार
कृपया नियमानुसार
आ0 का0 करें।
29/6/17
G.O. (Establishment)